प्रेस नोट दिनांक 16.09.2023

(1). आज दिनांक 16.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 16.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री द्रगपाल सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्ता पैशुन देवी पत्नी रामभवन कोल निवासी जारोमाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब तथा अभियुक्ता चिन्ता कोल पत्नी कमलेश निवासी डाडी कोलानी छिरिहा खुर्द थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये ।

बरामदगीः-

45 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दृगपाल सिंह थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी शिवलाल
3. महिला आरक्षी मोहिनी

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन मादक पदार्थो की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कमलेश दर्जी पुत्र राजाभइया निवासी चन्द्रपरवा बुजुर्ग थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह
2. आरक्षी सोमदेव

3. आरक्षी अनुज यादव

(5). आज दिनाँक-16.09.23.को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में एस चेक टीम बांदा,डॉग स्क्वॉयड एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा एक चोर को 111 किलो सरसों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.09.2023 को शसांक सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर में सूचना दी कि उनके घर से एक चोर ने 111 किलो सरसों चोरी करली है, इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं 204/2023 धारा 457,380 भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा घटना के अनावरण हेतु चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर को लगाया गया। चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम के द्वारा अथक प्रयास कर दिनाँक 15.09.023 को आदित्य प्रकाश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 111 किलो सरसों बरामद की गयी । चोरी की सरसों बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>बरामदगी</u>

111 किलो चोरी की सरसों

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर
2. आरक्षी आशोक पाल
3. आरक्षी प्रमोद कुमार

(7). आज दिनाँक-16.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भो में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी कर्वी श्री राजबहादुर, उपजिलाधिकारी श्री विवेक सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पांडेय, बीडीओ कर्वी आस्था पाण्डेय, निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द एवं के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर तथा उनकी टीम द्वारा एकराय होकर घेरकर मारपीट कर हत्या का प्रयास व हत्या करने से सम्बन्धित 01 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 09.09.2023 को वादिया तुलसा पुत्री विजय बहादुर निवासी सड़ का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर लाठी, डंडा व बरछी लेकर वादिया के पिता विजय बहादुर उम्र 48 वर्ष व चाचा भुजवल पुत्रगण निर्पत यादव निवासीगण सड़ का पुरवा मजरा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को घेरकर हत्या करने के उद्देश्य से गाली गलौज करते हुये लाठी डंडों व बरछी से मारपीट कर वादिया के पिता विजय बहादुर उपरोक्त की हत्या कर दी तथा जान से मारने की

धमकी दी गयी । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 171/2023 धारा 147/148/149/342/307/302/323/504/506 भादवि0 बनाम हरीशचन्द्र आदि निवासीगण चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखविर की सूचना पर अभियुक्त बृजराज पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित 11 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बृजराज पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर
2. मुख्य आरक्षी चालक श्यामकरन कुशवाहा
3. आरक्षी नीलेश कुमार
4. आरक्षी विपिन कुमार

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब के बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार विंद के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल तथा उनके हमराह द्वारा अभियुक्त देवराज पुत्र स्व0 चुन्ना ग्राम मकड़ी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना भरतकूप
2. आरक्षी लवलेश यादव
3. आरक्षी सतीश यादव